न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी लुणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार, (RAS)
राजस्व वाद संख्या–60 / 2013

<u>वादी</u> :–

01.देदाराम पुत्र श्री गुणेशराम उम्र 68 वर्ष जाति मेघवाल निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

<u>प्रतिवादीगण</u> :–

01.जेठाराम पुत्र श्री गुणेशराम के वारिसान
1/1 हेमाराम पुत्र जेठाराम
1/2 देवाराम पुत्र जेठाराम
1/3 गंगा पत्नी जेठाराम
1. रूपाराम पुत्र श्री गुणेशराम
2. बदीया पुत्र श्री गुणेशराम
3. पुरखा पुत्र श्री गुणेशराम के वारिसान
4/1 लीला पुत्री पुरखा
4/2 लूणकी पुत्री पुरखा
4/3 कुकी पुत्री पुरखा
4/4 रेता पुत्री पुरखा
4/5 दाकु पत्नी पुरखा
जातियान मेघवाल निवासीगण शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लूणी।

उपस्थितिः–1– श्री मोतीसिंह अधिवक्ता वादी
2– प्रतिवादीगण संख्या 1/1, 1/2, एवं 2, 3, 4/5 की तरफ से श्री बाबुलाल विश्नोई
3– प्रतिवादीगण संख्या 1/3, 4/1 से 4/4 के विरुद्ध एकपक्षीय

वाद बाबत् घोषणा, निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, 88 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक– 12/12/2022

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

संक्षेप में वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया है–

1. यह है कि वादी ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी, जिला जोधपुर का स्थाई निवासी है एवं उपरोक्त वर्णित पते पर निवास करता है। प्रतिवादीगण का रजिस्टर्ड पता वादशीर्षक के अनुसार है।

2. यह है कि वादी की पैतृक हकूक की कृषि भूमि ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 628 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही चतुर्थ, खसरा संख्या 629 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 630 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 631 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 632 रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 633 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 634 रकबा 31 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 635 रकबा 12 बीघा, खसरा नम्बर 636 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा, कुल खसरा 9 कुल रकबा 189 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही चतुर्थ एवं खसरा संख्या 645 रकबा 1 बिस्वा किस्म बैरा, खसरा नम्बर 646 रकबा 1 बिस्वा किस्म सारण, खसरा नम्बर 647 रकबा 10 बिस्वा किस्म ओडिया, खसरा नम्बर 648 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा किस्म बाड़ा, कुल खसरा 4 कुल रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा स्थित है।

3. यह है कि वादग्रस्त भूमि में अन्य खातेदारान के साथ वादी के पिता गुणेश एवं वादी की बड़ी माता ईमरती पत्नी भोला भांबी प्रत्येक 1/12– 1/12 हिस्से के खातेदार दर्ज थे एवं संयुक्त खातेदार तेजाराम द्वारा सन् 1974 में सभी खातेदारान को अपना हिस्सा बेचान कर देने से गुणेश व ईमरती का 1/11–1/11 हिस्सा हो गया।

4. यह है कि वादी व प्रतिवादीगण गणेश उर्फ गुणेश पिसरान मगीया के वारिस है एवं जायन्दा पुत्र है। ग्राम शिकारपुरा के म्युटेशन संख्या 108 के द्वारा गुणेश व इमरती फौत हो जाने पर प्रतिवादीगण जेठा, बदीया, रूपा व पुरखा का नाम रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी गुणेश का जायन्दा पुत्र है एवं वादी का भी उक्त चारों प्रतिवादीगण के बराबर हक हिस्सा है।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

5. यह है कि वादी गुणेश का जायन्दा पुत्र है एवं प्रथम श्रेणी का वारिस है। माफिक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम गुणेश व इमरती को प्राप्त हकूक में वादी प्रतिवादीगण के बराबर हक अधिकार रखता है एवं प्रतिवादीगण के नाम वर्तमान जमाबन्दी में जो 2/11 हिस्सा दर्ज है, उसमें वादी भी बराबर हिस्से का हकदार व काश्तकार है। परन्तु म्युटेशन संख्या 108 के जरिये वादी का नाम दर्ज नहीं करने के कारण प्रतिवादीगण वादी के हक अधिकार से इन्कार करने लगे है, जबकि वादी कानूनन गुणेश व इमरती का प्रथम श्रेणी का वारिस है एवं वादी का स्टेटस प्रतिवादीगण से भिन्न नहीं है।

6. यह है कि वादी के पिता के नाम शिकारपुरा में खसरा संख्या 174 रकबा 44 बीघा भूमि दर्ज थी, एवं वादी के पिता के देहान्त के पश्चात् वादी व प्रतिवादीगण सभी का नाम दर्ज किया गया है। परन्तु वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया, जो कि एक त्रुटि है, एवं उक्त त्रुटि के आधार पर वादी के अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते।

7. यह है कि इसी प्रकार से वादी के पिता की खातेदारी भूमि ग्राम निम्बली ब्राहम्णान पटवार हल्का रोहिट द्वितीय तहसील रोहिट के खसरा सख्या 4 रकबा 41 बीघा 15 बिस्वा दर्ज थी, जिसमें भी वादी का 1/5 हिस्सा दर्ज है। परन्तु वादग्रस्त भूमि में ही वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया।

8. यह है कि वादी सन् 1974 से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के साथ काबिज काश्त है एवं प्रतिवादीगण के बराबर हक हिस्सा रखता है। परन्तु प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में दर्ज अपने नाम की प्रविष्ठि के आधार पर वादी के खातेदारी हक को मानने से इन्कार करने लगे है, इसलिए वादी के पास वर्तमान में उक्त घोषणा का वाद पेश करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह गया है।

9. यह है कि वादी ने प्रतिवादीगण से समझाईस कर राजस्व अभियान केम्प शिकारपुरा में दिनांक 13.2.2013 को एक प्रार्थना पत्र अपना नाम दर्ज कराने हेतु भी पेश किया, परन्तु प्रतिवादीगण नाम दर्ज कराने के लिए सहमत नहीं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (लूणी)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

हुए, पटवारी हल्का द्वारा भी यह रिपोर्ट दी गई कि म्युटेशन संख्या 108 में गुणेश के वारिसान में वादी देदाराम का नाम छुटा हुआ है। चूंकि प्रतिवादीगण आपसी समझाईस से नाम दर्ज कराने हेतु सहमत नहीं है, इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण के बराबर हिस्से का खातेदार होने की घोषणा की डिक्री इस न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी है।

10.यह है कि प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्ठि के आधार पर अपने हिस्सों के साथ वादी के हिस्से को भी बेचान करने पर उतारू है, व वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए यह वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जा रहा है।

11.अन्त में वादी ने निम्न प्रकार वाद वादी के पक्ष में डिक्री करने की प्रार्थना की है कि :–

1. यह है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जावे एवम् घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की फरमावे कि वादी वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमि का खातेदार है एवं प्रतिवादीगण के बराबर वादी को अधिकार व हिस्सा प्राप्त है, तद्नुसार वादी को वादग्रस्त भूमि में खातेदार घोषित किया जावें एवं इस आशय की घोषणा भी की जावें कि वादग्रस्त भूमि में वादी प्रतिवादीगण के साथ सम्पूर्ण भूमि के 2/11 (गुणेश व इमरती के हिस्से में) हिस्से में खातेदार है।

2. यह है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमावे कि वाद पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित भूमि का हस्तांतरण प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से स्वंयं या किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, ऐजेण्ट आदि के मार्फत नहीं करे तथा वादी के कब्जे व काश्त में दखल अंदाजी नहीं करे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

3. यह है कि अन्य कोई अनुतोष जो वादी के पक्ष में हो व न्यायोचित हो सादिर फरमावे। वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

12. वादी का वाद पत्र दिनांक 04–03–2013 करे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये समन तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1/1, 1/2, एवं 2, 3 तथा 4/5 की तरफ से दिनांक 19–3–2013 को अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 1/3, 4/1, 4/2, 4/3 एवं 4/4 के समन पुनः जारी किये गये जिनके समन बाद तामिल पेशी दिनांक 1–10–2013 के प्राप्त होने के बावजूद वो अनुपस्थित रहे।

13. वाद में प्रतिवादीगण संख्या 1/1, 1/2, एवं 2, 3 तथा 4/5 की तरफ से अधिवक्ता को जवाबदावा प्रस्तुत करने के अवसर अनेको बाद दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा पेशी दिनांक 28–03–2017 तक भी कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया, तदनुसार उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर बन्द करने के आदेश दिये गये साथ ही शेष प्रतिवादीगण संख्या 1/3, 4/1, 4/2, 4/3 एवं 4/4 बाद समन तामिल के भी उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ व न ही प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित हुए अतः उनके विरुद्ध पेशी दिनांक 28–03–2017 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश दिये गये।

14. पत्रावली में चूंकि एकतरफा कार्यवाही एवं जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर बन्द किया गया है अतः तनकियात की आवश्यकता नहीं होने के फलस्वरुप दिनांक 18–12–2017 को वादी को गवाह प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया जिस पर पेशी दिनांक 23–03–2021 को वादी देदाराम का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ जिसे रेकर्ड पर लेते हुए वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 20–06–2022 को अवसर दिया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में चालु जमाबन्दी खसरा संख्या 628, से 636 तक कुल 9 खसरों तथा खसरा संख्या 645 से 648 कुल 4 खसरों की सम्वत 2068 से 2071 तक प्रदर्श–1 के रुप में प्रार्थना–पत्र प्रशासन गांव के संग अभियान में दिनांक 13–02–2013

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

को प्रस्तुत प्रदर्श–2 के रुप में, म्युटेशन संख्या 2 ग्राम शिकारपुरा प्रदर्श–3 के रुप में, चालू जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 तक खसरा संख्या 5 ग्राम रोहिट प्रदर्श–4 के रुप में एवं म्युटेशन संख्या 10 ग्राम शिकारपुरा प्रदर्श–5 के रुप में प्रस्तुत किये गये।

15. साक्ष्य वादी के रुप में वादी स्वयं देदाराम के उपस्थित होने के बावजूद भी अधिवक्ता प्रतिवादी जिरह के लिये उपस्थित नहीं हुए जिस पर अनेकों अवसर देने के बावजूद पेशी दिनांक 26–09–2022 को जिरह का अवसर बन्द कर बहस हेतु पत्रावली नीयत की गई।

16. हमने अधिवक्ता वादी की बहस सुनी तथा साक्ष्य शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य सहित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में वो ही कथन दोहराये जो उसने वाद पत्र में अंकित किये है। दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने से वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खसरों में वादी का नाम दर्ज होने से छूट जाना पाया जाता है, जो प्रदर्श–2 प्रार्थना–पत्र प्रशासन गांव के संग अभियान में दिनांक 13–02–2013 को प्रस्तुत किया गया था पर हल्का पटवारी द्वारा अंकित रिपोर्ट में विरासत के नामान्तरकरण में गुणेश पुत्र भगाराम जाति मेगवाल के वारिसान के रुप में वादी देदाराम पुत्र गुणेश का नाम छूटा हुआ होना अंकित किया गया है, से भी ताईद होता है। अतः वादी को विवादग्रस्त खसरों में 2/11 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः वादी का वाद माफिक प्रार्थना स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त खसरा नम्बर 628 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही चतुर्थ, खसरा संख्या 629 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 630 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 631 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 632 रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 633 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 634 रकबा 31 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 635 रकबा 12 बीघा, खसरा नम्बर 636 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा, कुल खसरा 9 कुल रकबा 189 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही चतुर्थ एवं खसरा संख्या 645 रकबा 1 बिस्वा किस्म बैरा, खसरा नम्बर 646 रकबा 1 बिस्वा किस्म सारण, खसरा नम्बर 647 रकबा 10 बिस्वा किस्म ओडिया,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

खसरा नम्बर 648 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा किस्म बाड़ा, कुल खसरा 4 कुल रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा में 2/11 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के उक्त हिस्से में वादी को कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे। तहसीलदार राजस्व रेकर्ड में इसी अनुसार दुरस्ती कर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 60/2013

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01 देदाराम पुत्र श्री गुणेशराम उम्र 68 वर्ष जाति मेघवाल निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.जेठाराम पुत्र श्री गुणेशराम के वारिसान 1/1 हेमाराम पुत्र जेठाराम 1/2 देवाराम पुत्र जेठारा 1/3 गंगा पत्नी जेठाराम 02.रूपाराम पुत्र श्री गुणेशराम 03.बदीया पुत्र श्री गुणेशराम 04.पुरखा पुत्र श्री गुणेशराम के वारिसान 4/1 लीला पुत्री पुरखा 4/2 लूणकी पुत्री पुरखा 4/3 कुकी पुत्री पुरखा 4/4 रेता पुत्री पुरखा 4/5 दाकु पत्नी पुरखा जातियान मेघवाल निवासीगण शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 05.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लूणी।

दावा अंतर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 60/2023 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतःआदेश है कि वादी को वादग्रस्त खसरा नम्बर 628 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही चतुर्थ, खसरा संख्या 629 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 630 रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 631 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 632 रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 633 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 634 रकबा 31 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 635 रकबा 12 बीघा, खसरा नम्बर 636 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा, कुल खसरा 9 कुल रकबा 189 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही चतुर्थ एवं खसरा संख्या 645 रकबा 1 बिस्वा किस्म बैरा, खसरा नम्बर 646 रकबा 1 बिस्वा किस्म सारण, खसरा नम्बर 647 रकबा 10 बिस्वा किस्म ओडिया, खसरा नम्बर 648 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा किस्म बाड़ा, कुल खसरा 4 कुल रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा में 2/11 हिस्से का खातेदार घेाषित किया जाता है राजस्व रेकार्ड मे इन्दाज किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है।

नीज...मुबलिक...............................बाबत...................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह...फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.......................................को अदा करें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 12/12/2022 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

मुद्धाई	रूपया	पै.	मुद्धायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्आम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी